

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 27, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 (अग्रहायण 27, 1945)

क्र. 18740-मप्रविस-16-विधान-2023.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अध्यक्ष के स्थायी आदेश की कण्डिका 92(3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधान सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री उमंग सिंघार, सदस्य को दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 से नेता प्रतिपक्ष मान्य किया गया है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.